Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

शंकरदास पुत्र सत्यनारायण जाति स्वामी निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़

बनाम

मनीराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–108/2012 जीसीएमएस न. 2012/00018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
15.04.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 हाजिर। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट को बार–बार आवाजे लगाई गई। परन्तु ना तो अधिवक्ता अपीलांट हाजिर आये तथा ना ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता एवं कोशिश का अभाव पत्रावली में चलाने में अरूचि जाहिर करता है। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा आदेशिका दिनांक 01.08.2012 द्वारा जैर अपील भूमि रोही बछरारा तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 368 के 0.911 है0 बारानी रकबा को रहन–बैय मुंतकिल ना करने बाबत जारी एकतरफा स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। हस्तगत पत्रावली के साथ समेकित पत्रावली संख्या 436/2013 सीगा 14 (4) अनवान शंकरदास बनाम मनीराम को भी इसी अनुसार खारिज किया जाता है तथा उक्त पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.06.2013 द्वारा रोही बछरारा के खसरा न. 368 में 0.911 है0 खसरा न. 386 में 3.134 है0 कुल 4.045 है0 बारानी भूमि को रहन–बैय एवं मुंतकिल नहीं करने बाबत जारी एकतरफा स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति पत्रावली संख्या 436/2013 में शामिल में की जावे। दोनो पत्रावलियां नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

१

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner